## राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सामाजिक न्याय की मजबूत आधारशिला : राजपूत

**राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः** खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम केवल खाद्यान्न वितरण की योजना नहीं, बल्कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित करने वाला सामाजिक न्याय का प्रभावी माध्यम है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र परिवार खाद्यान्न के अधिकार से वंचित न रहे और कोई भूखा न सोए। वे मंगलवार को कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में राज्य खाद्य आयोग और नीति आयोग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला का विषय 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 : प्रगति, चुनौतियां और भविष्य की दिशा' रहा।

कार्यशाला में मंत्री ने बताया कि अन्य राज्यों की बेहतर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों की टीम भेजी जाएगी। वहां से प्राप्त सुझावों और कार्यशाला में आए सुझावों के आधार पर प्रदेश की खाद्य वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी बनाया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य खाद्य आयोग, नीति आयोग तथा विभिन्न राज्यों के खाद्य आयोगों के प्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

## बुजुर्ग दंपती हत्याकांड में संपत्ति हड़पने की साजिश का खुलासा

**पुलिस जांच में उपहार विलेख, अवैध हथियार और आर्थिक लेनदेन से जुड़े तथ्य सामने आए**

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** ऐशबाग के चर्चित बुजुर्ग दंपती हत्याकांड की जांच में पुलिस को कई महत्वपूर्ण तथ्य मिले हैं। जांच के अनुसार यह दोहरी हत्या करोड़ों रुपये की संपत्ति हड़पने की कथित साजिश से जुड़ी थी। मुख्य आरोपी श्रीकांत और उसके भाई शशिकांत को पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। अब पुलिस डिजिटल, वैज्ञानिक तथा दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण का आरोप पत्र तैयार करने में जुटी है।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी श्रीकांत ने बुजुर्ग दंपती का मकान अपने नाम कराने के लिए उपहार विलेख तैयार कराने में लगभग 18 लाख रुपये खर्च किए थे। उसने शकुंतला को तीन लाख रुपये नकद भी दिए थे। जांच के अनुसार आरोपी को उम्मीद थी कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह मकान बेचकर बड़ी राशि प्राप्त कर लेगा। इसी उद्देश्य से उसने हत्या की योजना बनाई।

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने अपने भाई शशिकांत को वारदात में शामिल करने के लिए मकान बिकने पर मिलने वाली राशि में आधा हिस्सा देने का कथित लालच दिया था। पुलिस के अनुसार इसी कारण वह भी इस साजिश में शामिल हुआ।

पुलिस ने बताया कि वारदात में प्रयुक्त दोनों देशी कट्टे मालवा क्षेत्र से खरीदे गए थे। एक कट्टा 50 हजार रुपये तथा दूसरा 55 हजार रुपये में खरीदा गया था। अब पुलिस अवैध हथियार उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क की भी जांच कर रही है। जांच के दौरान शकुंतला की भाभी शिवानी बारीक की हत्या की साजिश में कोई भूमिका सामने नहीं आने पर उन्हें इस मामले में संलिप्त नहीं पाया गया। हालांकि पुलिस के अनुसार 42 लाख रुपये के भूखंड के विक्रय से जुड़े 10 लाख रुपये के कथित आर्थिक विवाद की अलग से जांच की जा रही है।

## आजाद की स्मृति में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** अमर शहीद फाउंडेशन के तत्वावधान में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में मंगलवार को गौतम नगर स्थित मल्टीप्लेक्स सिटी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लगभग 100 देश एवं समाजसेवियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

फाउंडेशन के राष्ट्रीय महासचिव अरुण वर्मा, राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रभारी अनिल बाजपेई, प्रदेश अध्यक्ष ओ. पी. सोनी तथा प्रदेश महासचिव एस. सी. त्रिपाठी ने बताया कि शिविर का उद्देश्य समाजसेवियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा उन्हें समय पर चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराना था। शिविर में डॉ. एस. एस. गुप्ता, डॉ. माही सिकंदर, डॉ. अंजू गुप्ता, डॉ. सपना गुप्ता तथा उनकी टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया। कार्यक्रम में इनिस फ्रांसिस, अनुज वर्मा, श्रीमती शकुंतला वर्मा, शकील अकबर, तृप्ति बाजपेई, प्रमोद मिश्रा सहित बड़ी संख्या में समाजसेवी, चिकित्सक तथा अस्पताल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

## क्राइम ब्रांच ने किया दस लाख का नकली सामान जब्त, आरोपी गिरफ्तार

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** राजधानी में नकली और मिलावटी दैनिक उपयोग की वस्तुओं के कारोबार पर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 लाख रुपये का नकली सामान जब्त किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आयुक्त संजय कुमार एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मोनिका शुक्ला के निर्देशन में, पुलिस उपायुक्त अपराध अखिल पटेल तथा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त शैलेन्द्र सिंह चौहान के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच की टीम ने यह कार्रवाई की। क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कबाड़खाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भारी मात्रा में नकली ब्रांडेड सामान भेजा जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने लकी ट्रांसपोर्ट के पास घेराबंदी कर सोहेल उर्फ रिहान (34 वर्ष), निवासी करोंद, भोपाल को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से नकली सर्फ, शैम्पू, विक्स वेपोरब, ईनो, फेस क्रीम, एवरेस्ट मसाले, हेयर ऑयल सहित विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के नाम से तैयार उत्पाद, पैकिंग सामग्री और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया। बरामद सामान की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई गई है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह नकली सामान अहमदाबाद (गुजरात) से कम कीमत पर खरीदकर भोपाल के विभिन्न किराना व्यापारियों को सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी द्वारा बताए गए कई दुकानों पर भी कार्रवाई कर नकली सामान जब्त किया है, जबकि कुछ स्थानों पर माल पहले ही बेचा जा चुका था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी असली कंपनियों जैसी हूबहू पैकिंग और रैपर तैयार कर नकली उत्पाद बाजार में उतार रहे थे, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और आर्थिक हितों को गंभीर नुकसान पहुंचने की आशंका थी। क्राइम ब्रांच अब इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। भोपाल पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अत्यधिक सस्ते दाम पर मिलने वाले ब्रांडेड सामान की गुणवत्ता और पैकिंग की जांच अवश्य करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

## अनुपूरक बजट पर आज होगी चर्चा

**सिंचाई परियोजनाओं, भूमि अधिग्रहण और परिवहन योजनाओं के लिए प्रमुख प्रावधान**

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** मध्य प्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2026–27 का पहला 7,765.76 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया है। इस पर बुधवार को सदन में चर्चा होगी। अनुपूरक बजट में सर्वाधिक 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिए किया गया है। यह राशि विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं तथा भूमि अधिग्रहण के भुगतान पर व्यय की जाएगी। अनुपूरक बजट में राजस्व मद के अंतर्गत 907.59 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत मद के अंतर्गत 6,858.18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के लिए 101 करोड़ रुपये तथा प्रधानमंत्री ई–बस सेवा योजना के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण के लिए 58.07 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं गृह विभाग में अंतरसंचालित आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए 98.83 करोड़ रुपये तथा पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 58.52 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से प्राप्त राशि के हस्तांतरण के लिए 397.54 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों के माध्यम से विभिन्न विकास योजनाओं, आधारभूत संरचना, परिवहन, शिक्षा, सिंचाई तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को गति मिलेगी।

## छात्रवृत्ति की मैपिंग सुनिश्चित करवाने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाएं : संभागायुक्त

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** भोपाल संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग के अंतर्गत प्री एवं पोस्ट मेट्रिक छात्र–छात्राओं को भारत सरकार एवं प्रदेश शासन की अलग – अलग छात्रवृत्तियों की शत–प्रतिशत मैपिंग के लिए स्पेशल ड्राइव के माध्यम से सेच्यूरेशन सुनिश्चित किया जाए।

श्री शर्मा मंगलवार को आयुक्त कार्यालय में जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में संयुक्त आयुक्त डॉ. विनोद यादव, संयुक्त संचालक अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग प्रेम शंकर पांडे, स्कूल शिक्षा संयुक्त संचालक धर्मेन्द्र शर्मा सहित संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

संभागायुक्त ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत छात्र – छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्तियों के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनपीएस, राज्य स्तरीय एमपीटीएएएससी और स्टेट स्कालरशिप पोर्टल पर शत – प्रतिशत छात्रों की मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा, जनजाति कार्य एवं उच्च शिक्षा संयुक्त रूप से दलों का गठन कर अगले 10 दिन स्पेशल ड्राइव के माध्यम से सभी स्कूलों, महाविद्यालयों में कैम्प आयोजित किए जाएं। संभाग के सभी जिलों में जिला पंचायत सीईओ को अभियान की मॉनीटरिंग के लिए नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। सभी संभागीय संबंधित अधिकारी प्रतिदिन प्रगति एवं क्रियान्वयन का रिव्यू करेंगे। इसी प्रकार महाविद्यालयों में छात्र–छात्राओं को स्कॉलरशिप आवास सहायता योजना का शत – प्रतिशत पंजीयन करवाने के लिए प्राचार्य अभियान चलाएं।

बैठक में जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों के संचालन, शिक्षण सुविधाओं की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बस्ती विकास योजना, वनाअधिकार अधिनियम, आदर्श ग्राम योजना एवं पीएम जनमन अंतर्गत निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

संभाग आयुक्त ने निर्देश दिए कि संभाग के सभी जिलों में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कृष्ट अभियान अंतर्गत योजनाओं का शत – प्रतिशत सेच्युरेशन सुनिश्चित करें। साथ ही जिले में एक ग्राम मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया जाए । उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री आवास के तहत कनेक्टिविटी रोड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एवं शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालयों के साथ – साथ आजीविका एवं उद्यमिता के लिए कौशल विकास के माध्यम से अवसर प्रदान कराएं।

## मुकेश के 103वें जन्मदिवस पर कायस्थम ने दी श्रद्धांजलि

**नप्र, भोपाल :** कायस्थम संस्था ने प्रसिद्ध पार्श्व गायक स्वर्गीय मुकेश चंद्र माथुर के 22 जुलाई को 103वें जन्मदिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। संस्था ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से स्वर्गीय मुकेश चंद्र माथुर की स्मृति में मध्य प्रदेश में गीत एवं संगीत कला अकादमी की स्थापना की मांग भी की है। कायस्थम के अध्यक्ष प्रलय श्रीवास्तव ने कहा कि मुकेश के फिल्मी गीत आज भी देश–विदेश में समान रूप से लोकप्रिय हैं। संस्था की ओर से 26 जुलाई को स्वर्गीय मुकेश की स्मृति में फिल्मी गीतों का कार्यक्रम 'रिमझिम गिरे सावन–2.0' आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक अनिल कोठारी, वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव तथा भजन गायक रवि खरे अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

## संघ के समर्पित कार्यकर्ता रवि गोयल बने भोपाल नगर निगम के एल्डरमैन

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से संगठन के लिए सक्रिय एवं समर्पित कार्यकर्ता रवि गोयल को भोपाल नगर निगम का एल्डरमैन नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति से परिवार, समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है।

ई–7 अरेरा कॉलोनी निवासी रवि गोयल बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े रहे हैं। बाल्यकाल से नियमित शाखा में जाने के साथ उन्होंने संघ के विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय एवं समर्पित कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। संगठन के प्रति उनकी निष्ठा और लंबे समय तक किए गए कार्यों के चलते उन्हें करीब चार दशक पूर्व स्टेट लॉ कॉलेज छात्रसंघ का अध्यक्ष बनने का अवसर भी मिला।

भाजपा नेतृत्व ने उनके संगठनात्मक अनुभव, सामाजिक सक्रियता और समर्पण को देखते हुए उन्हें नगर निगम में एल्डरमैन की जिम्मेदारी सौंपी है। उनकी नियुक्ति को संगठन के प्रति वर्षों की मेहनत और निष्ठा का सम्मान माना जा रहा है।

रवि गोयल ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर वे पूरी निष्ठा के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी वे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुरूप कार्य करते हुए भोपाल शहर और समाज के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे।

## नगर निगमों में नाम निर्दिष्ट पार्षदों को वित्तीय अधिकार नहीं

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** प्रदेश सरकार ने भोपाल सहित मध्य प्रदेश के 13 नगर निगमों में कुल 108 नाम निर्दिष्ट पार्षद नियुक्त किए हैं। अब ये नाम निर्दिष्ट पार्षद निगम परिषद की बैठकों में शामिल होकर जनहित से जुड़े मुद्दे उठा सकेंगे। हालांकि उन्हें न तो कोई बजट मिलेगा और न ही किसी प्रकार के वित्तीय अधिकार प्राप्त होंगे। भोपाल नगर निगम में मंत्री, सांसद और विधायकों के समर्थकों को नाम निर्दिष्ट पार्षद बनाया गया है।

विशेषज्ञों के अनुसार नाम निर्दिष्ट पार्षद परिषद की बैठकों में प्रश्न पूछ सकते हैं और विभिन्न विषयों पर चर्चा में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें वित्तीय निर्णय लेने अथवा बजट खर्च करने का अधिकार नहीं होगा। भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने भी कहा कि नाम निर्दिष्ट पार्षदों के लिए किसी प्रकार के बजट का प्रावधान नहीं है, जबकि उन्हें बैठकों में प्रश्न पूछने और चर्चा में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है।

भोपाल नगर निगम में कुल 85 वार्ड हैं। वर्तमान परिषद में भारतीय जनता पार्टी के 62, कांग्रेस के 22 तथा एक निर्दलीय पार्षद हैं। 12 नाम निर्दिष्ट पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। इसके साथ ही परिषद में इनकी कुल संख्या 74 हो जाएगी। हालांकि वर्तमान परिषद का कार्यकाल लगभग 13 माह शेष है। अगले वर्ष अगस्त में नगर निगम चुनाव प्रस्तावित हैं तथा उससे लगभग दो माह पहले आचार संहिता लागू होने की संभावना है। ऐसे में नाम निर्दिष्ट पार्षदों को कार्य करने के लिए लगभग नौ माह का समय मिलेगा।

नगर निगम में पार्षद से लेकर महापौर तक के लिए बजट और वित्तीय अधिकार निर्धारित हैं। प्रत्येक पार्षद को प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये, महापौर परिषद सदस्य को एक करोड़ रुपये, जोन अध्यक्ष को 10 लाख रुपये, अध्यक्ष को पांच करोड़ रुपये तथा महापौर को 10 करोड़ रुपये तक खर्च करने के अधिकार प्राप्त हैं।

## अवैध शराब के साथ युवक गिरफ्तार

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** पुलिस मुख्यालय के 'नशे से दूरी है जरूरी' अभियान के तहत थाना अयोध्यानगर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 7 पेटी (300 क्वार्टर) देशी शराब और तस्करी में प्रयुक्त एक्सेस वाहन सहित गिरफ्तार किया है। जब्त शराब और वाहन की कुल कीमत करीब 1.65 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस आयुक्त संजय कुमार एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शैलेन्द्र सिंह चौहान के निर्देश तथा पुलिस उपायुक्त विकास सहवाल, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मिनी शुक्ला और सहायक पुलिस आयुक्त दिव्या झारिया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी महेश लिल्हारे के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक एक्सेस बाइक पर काले रंग के बैग में अवैध शराब लेकर झुग्गी बस्ती में बिक्री के लिए जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर मोहम्मद समीर खान (19 वर्ष), निवासी रोशनपुरा झुग्गी, भोपाल को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 300 क्वार्टर देशी मसाला शराब (7 पेटी) एवं तस्करी में प्रयुक्त एक्सेस वाहन बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी झुग्गी बस्तियों में अवैध रूप से शराब खपाने के उद्देश्य से तस्करी कर रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध पहले भी आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। अयोध्यानगर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 'नशे से दूरी है जरूरी' अभियान के तहत अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि नशे और अवैध कारोबार से संबंधित किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

**पश्चिम मध्य रेल**

सामग्री प्रबंधन विभाग

(भंडार आपूर्ति हेतु ई– निविदा सूचना, संख्या/ईपीएस/20/2026)

प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, पश्चिम रेल भारत के राष्ट्रपति की ओर से ई–खरीद प्रणाली के जरिए निम्नलिखित विज्ञापन निविदाएं आमंत्रित करते है। कोई भी हस्तलिखित/डाक प्रस्ताव स्वीकार नही किए जाएंगे। पूर्ण विवरण/विनिर्देशन के लिए वेबसाईट https://ireps.gov.in पर 'ई' निविदा संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

| क्र. | टेंडर नं. | संक्षिप्त वर्णन | निविदा मात्रा | नियत तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81255995 | मैनुफेक्चर एंड सप्लाई of मेटल Liners 60 kg for use with ERC | 706821 Nos | 23/07/2026 |
| 2 | 8125WCRTP-20A | मैनुफेक्चर एंड सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल/आइसोलेटेड प्रे–टेंनिओनेड प्रे–स्टेस्ड कंक्रीट (PSC) स्लीपर्स | 21506.94 मीटर | 04/08/2026 |
| 3 | 30261640 | कंट्रोल आर्म असेंबली लेफ्ट कन्सिसटिंग ऑफ 02 (TWO) आइटम्स | 1476 Sets, | 05/08/2026 |
| 4 | 30261048 | डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक शॉक अब्सॉरबेर फॉर वर्टीकल एप्लीकेशन | 2251 नंबर्स | 12/08/2026 |
| 5 | 38262317 | एडाप्टर (NARROW JAW) क्लास 'E' 6"X11" TO RDSO'S DRG. | 121762 नंबर्स | 13/08/2026 |
| 6 | 30261044B | बेयरिंग पीस फॉर साइड Bearer to Drg. No.- T-0-5-649, Alt.-18 & T(small L) | 2617 नंबर्स | 18/08/2026 |
| 7 | 30261165B | ड्यूल फ्लश वाल्व साइजः 32 MM, बॉडी width 75 to 80 mm, बॉडी Length 145 | 5076.00 नंबर्स | 26/08/2026 |
| 8 | 30261351 | रबर बफर स्प्रिंग फॉर 1225 KGM कैपेसिटी (एक सेट कन्सिसटिंग ऑफ 4) | 2354 सेट | 27/08/2026 |
| 9 | 65255014A | सप्लाई ऑफ 03 Nos. Turbo चरगेद ट्रक (कावल चेसी) | 03 नंबर्स | 31/08/2026 |
| 10 | 30261218 | सेट ऑफ HYTREL UPPER एंड लोअर वॉशर फॉर | 359 set | 01/09/2026 |

50 लाख रुपये से कम अनुमानित मूल्य वाली निविदाओं के लिए इच्छुक फर्मों को www.ireps.gov.in पर जाने की सलाह दी जाती है। (हस्ता)

कृते प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

**जाहिर सूचना**

**ग्राम कानासैया हल्का 37 तह. हुजूर भूखण्ड क्र.4 ख. क्र. 877 क्षेत्रफल 1227 वर्ग फिट के संबंध में**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री मो. आसिफ अली आ. श्री रहमत अली आयु वयस्क निवासी 45 हजरत निजामुद्दीन कालोनी भोपाल ने भूमि स्वामी श्री मो. शशिकांत शर्मा आ. श्री श्रीनिवास शर्मा वयस्क 182 छत्रपति नगर नरेला शंकरी भोपाल से एक किता अविकसित भूखण्ड क्रमांक 04 कुल क्षेत्रफल 1227 वर्ग फिट जो कि खसरा क्रमांक 877 (एस) का अंश भाग होकर ग्राम कानासैया हल्का 37 तहसील हुजूर जिला भोपाल में नगर निगम सीमा के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है उक्त भूमि की चतुर्थ सीमायें पूर्व में खसरा क्रमांक 880,881 की भूमि, पश्चिम में–राष्ट्रीय राजमार्ग (कोकता बायपास) उत्तर में भूखण्ड क्रमांक–3, दक्षिण में अन्य की भूमि उसको क्रय करने हेतु बयाना राशि अदा कर अनुबंध निष्पादित कर लिया है यदि इस संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, शासकीय अशासकीय कार्यालय बैंक इत्यादि द्वारा लेन–देन, बंधक, विक्रय अनुबंध आदि के संबंध में कोई भी आपत्ति हो तो इस संबंध में 7 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में मय दस्तावेज के साथ सूचित करें। समयावधि पश्चात आपत्ति शून्य एवं प्रभावी मानी जायेगी।

**आभास जैन, एडवोकेट**
114/एम–1 श्री टावर जोन–2 एम. पी. नगर भोपाल
मो. 9425150352,0755–2769581

1019

**जाहिर सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरे पक्षकार ने श्रीमती असमा अजीज पुत्री श्री अजीज खान, वयस्क, निवासी–5/ए, नूरमहल रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीयता–भारतीय। से उनके स्वत्व, स्वामित्व की एक किता प्रकोष्ठ फ्लैट क्र. बी–1 जो दो किता भूखण्ड कं.–37 एवं 39 पर निर्मित बहुमंजिला भवन 'रोमर अपार्टमेन्ट' के द्वितीय तल पर निर्मित होकर गली नं.–02, सुल्तानिया मस्जिद के सामने, कुम्हारपुरा सडक पर, शाहजहानाबाद, तहसील हुजूर, जिला भोपाल नगर निगम सीमाओं के अंदर वार्ड क्रं.–09 में स्थित हैं, जिसकी चतुर्थ सीमाएं दिशा पूर्व में प्रकोष्ठ क्रमांक–बी–2, दिशा पश्चिम में अन्य की संपत्ति, दिशा उत्तर में कुम्हारपुरा मार्ग, दिशा दक्षिण में प्रकोष्ठ क्रमांक–बी–6, उक्त प्रकोष्ठ फ्लैट का कुल क्षेत्रफल 869.36 वर्गफिट अर्थात् 80.795 वर्गमीटर है, जिसकी श्रीमती असमा अजीज मालिक व काबिज है, वह उक्त समपत्ति को विक्रय कर रहे है और मेरे पक्षकार से बयाना राशि प्राप्त कर ली है, यदि उक्त विक्रय में किसी भी व्यक्ति, सस्था, बैंक, शासकीय व गैर शासकीय कार्यालय आदि को किसी प्रकार की कोई आपति है तो वह सूचना प्रकाशन के (7) सात दिवस के अन्दर मय प्रमाणित सहित दस्तावेज मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें। समयावधि निकल जाने के पश्चात् किसी प्रकार का कोई दावा, स्वत्व या आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी और मेरे पक्षकार उक्त सम्पत्ति की सम्पूर्ण राशि को अदा करके विक्रय पत्र का पंजीयन अपने पक्ष में करवाने के लिये स्वतंत्र होंगे।

**परवेज खान, अधिवक्ता**
ऑफिस–जी–1, जी. के. कॉम्प्लेक्स, 77, सेक्टर–सी. इंद्रपुरी, भोपाल (म. प्र.)
मोबाईल नंबर 9691628598

1018

**न्यायालय तहसीलदार, तहसील–कोलार, जिला भोपाल**

प्रकरण कमांक 5905/अ–6/25–26

**उद्घोषणा पत्र**

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक सुरेन्द्र सिंह आ.श्री भगवान सिंह निवासी भोपाल म.प्र.भू.रा. सहिंता 1959 की धारा 109,110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विकय पत्र क्र.1836 (2) दिनांक 27/Sep/2011 ग्राम कटारा प.ह.नं. स्थित भूमि खसरा नंबर 17/1/4 नवीन खसरा क्रं. 9/1, 73/1, 73/2, 74/2 का अंश भाग भूखण्ड क्र. 135 क्षेत्रफल 116.17 वर्गमीटर भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किये जाने का अनुरोध किया है। 2– उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 27/07/26 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 20/7/26 को जारी किया गया।

**तहसीलदार**
तहसील–कोलार भोपाल

1017

**न्यायालय तहसीलदार, तहसील–कोलार, जिला भोपाल**

प्रकरण कमांक 5906/अ–6/25–26

**उद्घोषणा पत्र**

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक सुरेन्द्र सिंह आ.श्री भगवान सिंह निवासी भोपाल म.प्र.भू.रा. सहिंता 1959 की धारा 109,110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र MP43IGR16952025A1005 13467 दिनांक 24/06/2026 ग्राम कटारा प.ह.नं. स्थित भूमि खसरा नंबर 14,17/1 नबीन खसरा क्रं. 9/1, 73/1, 73/2, 74,75/2 का अंश भाग में भूखण्ड क्र. 136 क्षेत्रफल 116.17 वर्गमीटर भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किये जाने का अनुरोध किया है। 2. उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 27/07/26 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 20/7/26 को जारी किया गया।

**तहसीलदार**
तहसील–कोलार भोपाल

1016

**कार्यालय : रजिस्ट्रीकरण अधिकारी न्यायालयीन कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित,भोपाल**

(पंजीयन क्रमांक/डी. आर.बी. /62, दिनांक 04.04.1977)

क्रमांक/निर्वा.अधि./2026/03 दिनांक : 21.07.2026

**सूचना**

संस्था के समस्त सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन साधारण सम्मेलन विशेष साधारण सम्मेलन में सम्पन्न होना है। अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था के नोटिस बोर्ड, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी–ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल, विकासखण्ड फंदा, भोपाल को–आपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड, शाखा टी.टी. नगर एवं भारतीय स्टेट बैंक शाखा जिला न्यायालय परिसर, अरेरा हिल्स, भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 21/07/2026 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 21/07/2026 से 29/07/2026 तक कार्यालयीन दिवस में मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी–ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में दोपहर 12 से 02 बजे तक सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी–ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में दिनांक 30/07/2026 को दोपहर 12.00 बजे से किया जायेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को स्पीड पोस्ट/साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।

**( मल्लिका राजपुरोहित भार्गव )**
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
न्यायालयीन कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

1015

**मध्य रेल**

खुली ई-निविदा सूचना सं: डीवाई. सीई (सी) बेतुल/02 ऑफ 2026

उप. मुख्य अभियंता (सी) बेतुल @ नागपुर मध्य रेलवे, चुनाभाट्टी रोड अजनी/नागपुर-3 भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए प्रतिष्ठित ठेकेदारों से www.ireps.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन ई-निविदाएं आमंत्रित करता है: **कार्य का नाम:** जुझारपुर-नागपुर सेक्शन में इटारसी-नागपुर चौथी लाइन के रास्ते में आने वाले यूटिलिटी स्ट्रक्चर (जैसे स्टेशन बिल्डिंग, सर्विस बिल्डिंग, क्वार्टर, पानी की टंकियां, डिपो, शेड, लेवल क्रॉसिंग, FOB, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म कवर और अन्य ढांचे) को दूसरी जगह शिफ्ट करना। **अनुमानित लागत:** ₹ 72.33 करोड। समापन अवधी: 24 माह। **ऑफर की वैधता:** 90 दिन ठेका खुलने की तारीख से। बयाना राशि: ₹ 1,44,67,900.00। **निविदा मूल्य:** कुछ नहीं। **निविदा प्रपत्र की उपलब्धता:** निविदा सूचना एवं निविदा दस्तावेज वैबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। **निविदा जमा कराने तथा निविदा खोलने की तिथी और समय:** ई-निविदा पूर्न रूप से परिपूर्ण दि. 20.08.2026 को 15.00 बजे तक उपरोक्त वैबसाइट पर इलेक्ट्रोनिकल्ली अपलोड किया जाए। ई-निविदा 15.00 बजे के बाद खोली जाएगी। **निविदाकर्ताओ के लिए सूचना महत्वपूर्ण:** अ) सभी निविदाकर्ताओ से निवेदन है की वैबसाइट पर इलेक्ट्रोनिकल्ली ई-निविदा अपलोड करने से पहले वे ई-निविदा की टर्म्स कंडिशन्स एलिजीबिलिटी क्राइटेरिया को रेफर करे। (ब) सभी निविदाकर्ताओ को आईआरईपीएस के वैबसाइट www.ireps.gov.in पर रैजिस्टर्ड होना जरूरी है। किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए उपरोक्त पते पर कार्यालय में 10.00 बजे से 18.00 बजे के बीच किसी भी कार्यदिवस में संपर्क करे/कॉन्टेक्ट नं 7219612253 (मोबाइल) उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), बेतुल @ नागपुर

EXP/61/335

रेलमदद हेल्पलाईन 139